प्रेस-नोट

जनपद भदोही

दिनांक-26.07.2026

◆ थाना भदोही पर पंजीकृत अ भयोग में फरार वांछित अ भयुक्त के वरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा धारा-84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा (नोटिस) की गई जारी।

◆ स्थानीय पु लस द्वारा अ भयुक्त के निवास स्थान पर व धक प्र क्रया के तहत मुनादी कर नोटिस कया गया चस्पा ।

◆ नियत ति थ तक न्यायालय में उपस्थित न होने पर अ भयुक्त की संप त्त कुर्क कए जाने की होगी कार्रवाई।

थाना भदोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 474/2025, धारा 106, 210, 211, 318(4) बीएनएस तथा धारा 34(1), 34(2) मे डकल एक्ट एवं क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 की धारा 26 एवं 27 से संबं धत वांछित अ भयुक्त बृहस्पति राय उर्फ बंगाली डॉक्टर पुत्र शरण राय, निवासी सरोंई बाजार, थाना भदोही, जनपद भदोही के वरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा धारा-84 बीएनएसएस (पूर्व धारा-82 सीआरपीसी) के अंतर्गत उद्घोषणा (नोटिस) जारी की गई है। अ भयुक्त को नियत ति थ तक मा० न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु आदे शत कया गया है। यदि अ भयुक्त निर्धारित अव ध के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो व धक प्रावधानों के अनुसार उसकी संप त्त कुर्क कए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 26.07.2026 को उ0नि0 वजय कुमार सरोज मय हमराह, थाना भदोही द्वारा अ भयुक्त के निवास स्थान सरोंई बाजार, थाना भदोही, जनपद भदोही पर व धक प्र क्रया के तहत उद्घोषणा (मुनादी) कराई गई तथा धारा-84 बीएनएसएस की नोटिस गवाहों की उपस्थिति में अ भयुक्त के मकान के मुख्य द्वार पर चस्पा की गई।